भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4417

(दिनांक 20.03.2020 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी चैनलों के लिए स्व-सेंसरशिप

4417. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओवर-द-टॉप (ओटीटी) चैनलों के लिए स्व-सेंसरशिप के बारे में हितधारकों या ओसीसीपी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) भी इंटरनेट पर मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सीबीएफसी के कामकाज में सुधार के लिए किन-किन सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है; और

(ङ) टेलीविज़न और फिल्मों में विषय-वस्तु के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और उन पर की गई कार्रवाई का विषय-वस्तु-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ): चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत सृजित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) चलचित्र अधिनियम 1952, चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 और इसके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणीकरण का सांविधिक कार्य करता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाई गई सभी फिल्में, प्रोमोज, टीजर, गाने, ट्रेलर आदि, चाहे उनकी लंबाई और मीडिया टाइप (सेल्यूलॉड, वीडियो, सीडी या डीवीडी) जो भी हो, सीबीएफसी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन हैं। मार्च, 2017 में ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रिया के शुरू किए जाने से सीबीएफसी द्वारा समग्र फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। तथापि, सीबीएफसी को इंटरनेट प्लेटफार्मों के संबंध में कोई अधिदेश नहीं है।

(ङ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सीबीएफसी को टीवी और फिल्मों में सामग्री के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित सामग्री से अपेक्षा है कि वह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में यथा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अनुपालन में हो। जब भी उपर्युक्त संहिताओं का उल्लंघन सिद्ध होता है नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। फिल्मों के लिए, इन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और इन्हें चलचित्र अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करके निपटाया जाता है। यदि चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(2) के तहत किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन होता है, तो लोप और/या संशोधन का निदेश दिया जाता है।

****